

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224038
SG-DL-E-31122020-224038

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]	दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 241
No. 285]	DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSHA 8, 1942	[N. C. T. D. No. 241

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020

सं.फा.30(741)/पोस्टिंग नॉन-ऑफिशल एम.एम टी/डीडी(एसएस)/डीएसडब्ल्यू/2019-20/14190-14216.-दिल्ली माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2009 के नियम 3 के साथ पठित माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद्वारा इस सरकार की दिनांक 8 जून, 2018 की अधिसूचना सं0फा0 30(673)/डीडी(एसएस)/डीएसडब्ल्यू/2016-17/8007-8075 में संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 15 और क्रमशः इनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	डाक का पता
1	2	3	4
15.	डॉ0 अखिलेश कुमार जैन	श्री एस.एल. जैन	50, अर्जुन नगर, एस-5 सफदरजंग इन्वेलव, नई दिल्ली-29

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
आदेश से और उनके नाम पर,
रश्मि सिंह, निदेशक (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE**NOTIFICATION**

Delhi, the 29th December, 2020

F.No.30(741)/posting non-official M.M.T/DD(SS)/DSW/2019-20/14190-14216.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section-7 of the Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizens Act, 2007 read with rule 3 of the Delhi Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizens Rules, 2009, the Competent Authority of Department of Social Welfare the National Capital Territory of Delhi, is pleased to amend this Government's notification no.F.No.30(673)/DD(SS)/ DSW/2016-17/8007-8075 dated, 08th June, 2018 , namely:- in the said notification , for serial No.15 and entries relating thereto respectively, the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Name	Father/Husband Name	Postal Address
1	2	3	4
15.	Dr. Akhilesh Kumar Jain	Shri. S.L. Jain	50, Arjun Nagar, S-5 Sabdarjung enclave, New Delhi-29

By Order and in the Name of the Government of
National Capital Territory of Delhi,

RASHMI SINGH, Director, Social Welfare